राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

पुनर्विलोकन याचिका संख्या– 07/2025

(अपील संख्या–286/2025)

संजय सिंह बुन्देला —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा(मुख्यालय), बीकानेर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.05.2025
आदेश की दिनांक : 21.07.2025

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने यह पुनर्विलोकन याचिका अधिकरण द्वारा अपील संख्या 286/2025 संजय सिंह बुन्देला बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2025 के संबंध मे प्रस्तुत की है। अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थी की उक्त याचिका को अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 22.04.2025 के द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित STC/B.ED. योग्यता धारित करने का कथन नहीं किया गया है। अपील में अपीलार्थी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में त्रुटिवश निवेदन नहीं किया जा सका, परन्तु बहस के दौरान इस संबंध में अंकतालिका प्रस्तुत की गई थी, जिसकी प्रति पुनर्विलोकन याचिका में अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। उनका यह भी निवेदन है कि समान प्रकृति के अन्य प्रकरण अधिकरण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जा चुके है। अतः न्यायहित में टंकण त्रुटि को नजरअंदाज कर पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार किया

जावे। अधिकरण के आदेश दिनांक 22.04.2025 को पुनर्विलोकन किया जाकर अपीलार्थी की अंकतालिका को रिकॉर्ड पर लिया जाकर राहत प्रदान की जावें।

2. हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं मूल अपील संख्या 286 / 2025 की पत्रावली तलब कर अवलोकन किया। मूल अपील में अपीलार्थी द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय हेतु निर्धारित प्रशैक्षणिक योग्यता STC/B.Ed. धारित किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत किए गए है। इसी आधार पर अधिकरण ने पारित आदेश में यह माना है कि अपीलार्थी को बिना निर्धारित योग्यता धारित किए हुए 4500–7000(9A) वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता एवं 4500–7000(9A) का वेतनमान अपीलार्थी को स्वीकृत करने की हद तक अपील खारिज की गई।

3. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी का यह कथन है कि उन्होंने बहस के दौरान अपीलार्थी की योग्यता के संबंध में अंक तालिका प्रस्तुत की थी। परंतु अपील की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय हेतु निर्धारित प्रशैक्षणिक योग्यता (B.Ed./STC) धारित कर ली। अपील के साथ B.Ed./STC का कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। यहां तक कि बहस के समय भी विधिवत रूप से अपीलार्थी द्वारा B.Ed./STC की डिग्री धारित / उत्तीर्ण करने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि ऐसे कोई भी दस्तावेज विधिवत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो निश्चित रूप से अपील के निर्णय के समय उन पर विचार किया जाता।

4. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 6(5) में पुनरीक्षण के संबंध में निम्न प्रकार से प्रावधान किया गया है :–

> *"The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper.*
>
> *Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such partly at the time when such decision or order was made, or*

that there has been some mistake or error apparent on the face of the record:

Provided further that no application under this sub-section shall lie to the Tribunal after the expiry of thirty days from the date of the decision or order of which review is being sought:

Provided also that an application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filling the application within such time."

5. हम यह भी पाते है कि अपीलार्थी द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय हेतु निर्धारित योग्यता एसटीसी धारित करने का तथ्य पूर्व में ही जानकारी में था और अपील में उस संबंध में कथन किया जाना सम्भव था। स्पष्ट है कि प्रकरण में ऐसा कोई नया तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिसकी अपीलार्थी के अपील प्रस्तुत करते समय जानकारी नहीं थी। अतः हम अधिकरण द्वारा पूर्व में अपील संख्या 286/2025 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2025 का पुनर्विलोकन करना उचित नहीं समझते हैं।

6. यह पुनर्विलोकन याचिका एतत्‌द्वारा खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य